सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी–अलवर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2016/00193 दर्ज तिथिः–20.05.2016

1. हिम्मतसिंह पुत्र जसवन्तसिंह उम्र 58 साल जाति राजपूत
2. महेन्द्रसिंह उर्फ नरेन्द्रसिंह पुत्र जसवन्तसिंह उम्र 56 साल जाति राजपूत

निवासीयान आगर तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

......................वादीगण

बनाम

1. भौरया पुत्र छाज्या उम्र 85 साल जाति मीना
2. गंगासहाय पुत्र छाज्या उम्र 70 साल जाति मीना
3. छोटा पुत्र छाज्या उम्र 65 साल जाति मीना

निवासीयान आगर तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

................असल प्रतिवादीगण

1. शाखा प्रबंधक एसबीबीजे शाखा प्रतापगढ तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भू–स्वामी थानागाजी जिला अलवर।

..........................तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादी :– श्री रामकरण चौपडा।
प्रतिवादीगण :– श्री महेन्द्र शर्मा ।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–53,188
राजस्थान काश्तकारी अधि–1955

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः– 23.05.2023

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र बाबत तकास्मा अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 वास्ते डिक्री किये जाने वास्ते पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादीगण की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी बरूये खाता संख्या 355 आराजी खसरा नंबर 250 रकबा 0.27 है0, 255 रकबा 0.18 है0, 256 रकबा 0.19 है0, 258 रकबा 0.11 है0, 259 रकबा 0.13 है0, 261 रकबा 0.16 है0, 262 रकबा 0.23 है0, 264 रकबा 0.14 है0, 265 रकबा 0.14 है0 कुल रकबा 1.35 है0 वाके ग्राम आगर तहसील थानागाजी जिला अलवर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी का 1/2 हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.16 21:17:21 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादीगण को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण हाजा न्यायालय में असालतन–वकालतन उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण ने राजस्व लोक अदालत कैंप आगर में अभिभाषक पक्षकारान द्वारा दावा प्रारम्भिक डिक्री करने बाबत मौखिक सहमति देकर प्रारम्भिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अतः प्रकरण मे वादी के वाद पत्र तथा वकुलाय प्रारम्भिक डिक्री सहमति के अवलोकन के पश्चात निम्न प्रकार तनकीयात कायम किये गयेंः–

    1. आया संयुक्त आराजी का वादीगण व प्रतिवादीगण विभाजन करवाकर पृथक–पृथक खाता कायम करवाने के अधिकारी है।

        .....उभय पक्षकारान

    2. आया संयुक्त आराजी को वादीगण व प्रतिवादीगण विभाजन करवाकर पृथक–पृथक खाता कायम करवाकर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

        .....उभय पक्षकारान

    3. अन्य दादरसी।

        .....उभय पक्षकारान

3. तनकी संख्या–1 पर विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस सुनी। बाद बहस वाद पत्र को प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार थानागाजी से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार थानागाजी द्वारा क्रमांक/भू0अ0/2023/659 दिनांक 01.03.2023 द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत की।

4. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादीगण एवं प्रतिवादी द्वारा तहसीलदार थानागाजी द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति प्रदान की। अधिवक्ता पक्षकारान द्वारा दी गई सहमति पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2074–2077 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादी हाल आराजी खसरा नंबर 250 रकबा 0.27 है0, 255 रकबा 0.18 है0, 256 रकबा 0.19 है0, 258 रकबा 0.11 है0, 259 रकबा 0.13 है0, 260 रकबा 0.16 है0, 262 रकबा 0.23 है0, 264 रकबा 0.14 है0, 265 रकबा 0.14 है0 कुल किता 09 कुल रकबा 1.55 है0 वाके ग्राम आगर तहसील थानागाजी के सहखातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त संयुक्त आराजीयात में वादीगण का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी का 1/2 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात का विधिवत् तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन–प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा– ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है। अतः तनकी संख्या–1 स्वीकार की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.16 21:17:21 IST
Reason: SelfAttested

5. प्रकरण में तनकी संख्या–02 के अनुसार तकसीम आराजी के साथ–साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। अतः तनकी संख्या–02 के तहत विश्लेषण हेतु स्थाई निषेधाज्ञा में तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जो इस प्रकार हैः–

प्रथम– स्वामित्व एवं कब्जाः– प्रकरण के बाद तकसीम पृथक–पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह–काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः इस प्रकार प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय– सुविधा का सन्तुलनः– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय– अपूरणीय क्षतिः– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद–रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

6. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक–पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः तनकी संख्या–02 स्वीकार की जाती है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है एवं हाल आराजी हाल आराजी खसरा नंबर 250 रकबा 0.27 है0, 255 रकबा 0.18 है0, 256 रकबा 0.19 है0, 258 रकबा 0.11 है0, 259 रकबा 0.13 है0, 260 रकबा 0.16 है0, 262 रकबा 0.23 है0, 263 रकबा 0.14 है0, 265 रकबा 0.14 है0 मुस्तकिल 09 कुल रकबा 1.55 है0 वाके ग्राम आगर तहसील थानागाजी जिला अलवर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादीगण डिक्री किया जाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.16 21:17:21 IST
Reason: SelfAttested

है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार थानागाजी को दिये जाते हैं।

क्र.स.	खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म
1	हिम्मतसिंह पुत्र जसवन्तसिंह जाति राजपूत साकिन देह खातेदार	1/2	250/1	0.1350 है0	बंजड
			256	0.19 है0	बारानी प्रथम
			258/1	0.06 है0	बारानी प्रथम
			258/3	0.03 है0	बारानी प्रथम
			259	0.13 है0	बारानी प्रथम
	महेन्द्रसिंह पुत्र जसवन्तसिंह जाति राजपूत साकिन देह खातेदार	1/2	260/1	0.09 है0	बारानी प्रथम
			265	0.14 है0	बारानी प्रथम
किता 07 रकबा 0.7750 है0					
1	हरलाल पुत्र गंगाराम	1/12	250/2	0.1350 है0	बंजड
2	परमान्द पुत्र गंगाराम	1/12			
3	भौरी देवी पत्नी गंगाराम	1/12	255	0.18 है0	बारानी प्रथम
4	रामबाई पुत्री गंगाराम	1/12			
समस्त जाति मीना साकिन ढाणी जाट का हार खातेदार			258/2	0.02 है0	बारानी प्रथम
5	धन्नी पत्नी भौरया	1/21			
6	बद्री पुत्र भौरया	1/21	260/2	0.07 है0	बारानी प्रथम
7	रामकिशन पुत्र भौरया	1/21			
8	रामपाल पुत्र भौरया	1/21	262	0.23 है0	बारानी प्रथम
9	रिछपाल पुत्र भौरया	1/21			
10	हनुमान पुत्र भौरया	1/21	264	0.14 है0	बारानी प्रथम
11	लाली देवी पुत्री भौरया	1/21			
12	लक्ष्मा देवी पत्नी छोटा	1/15			
13	सीताराम पुत्र छोटा	1/15			
14	कैलाश पुत्र छोटा	1/15			

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.16 21:17:21 IST
Reason: SelfAttested

15	फैलीराम पुत्र छोटा	1/15			
16	बच्ची देवी पुत्री छोटा	1/15			
समस्त जाति मीना साकिन देह खातेदार					
किता 06 रकबा 0.7750 है0					

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से अनुसार खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार थानागाजी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकार अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 16.05.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षकर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
थानागाजी–अलवर

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.16 21:17:21 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

थानागाजी–अलवर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 01/158 दर्ज तिथिः– 26.07.2021

1. गोपाल पुत्र बद्रीप्रसाद उम्र बालिग जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी किशोरी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0
2. प्रहलाद पुत्र बद्रीप्रसाद उम्र बालिग जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी किशोरी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0
3. ओमप्रकाश पुत्र बद्रीप्रसाद उम्र बालिग जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी किशोरी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0
4. चिरंजी पुत्र बद्रीप्रसाद उम्र बालिग जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी किशोरी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0
5. गीता पुत्री बद्रीप्रसाद उम्र बालिग जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी किशोरी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0
6. सीता पुत्री बद्रीप्रसाद उम्र बालिग जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी किशोरी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0
7. पुष्पा पुत्री बद्रीप्रसाद उम्र बालिग जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी किशोरी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0
8. सुनीता उर्फ सुमन पुत्री बद्रीप्रसाद उम्र बालिग जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी किशोरी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0
9. सांझा पत्नी बद्रीप्रसाद उम्र बालिग जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी किशोरी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0 ....वादीगण

बनाम

1. जगदीश पुत्र बाल्या उम्र बालिग जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी किशोरी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

................असल प्रतिवादीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भू–स्वामी थानागाजी जिला अलवर।

.........................तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित
वादी अधिवक्ताः– श्री पुष्पेन्द्र शर्मा।
प्रतिवादीगण अधिवक्ता :– श्री गोपाल शर्मा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–53,188
राजस्थान काश्तकारी अधि–1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.16 21:17:21 IST
Reason: SelfAttested

–:पर्चा डिक्री:–

निर्णय तिथिः– 09.05.2023

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी हाल आराजी खसरा नंबर 250 रकबा

0.27 है0, 255 रकबा 0.18 है0, 256 रकबा 0.19 है0, 258 रकबा 0.11 है0, 259 रकबा 0.13 है0, 260 रकबा 0.16 है0, 262 रकबा 0.23 है0, 264 रकबा 0.14 है0, 265 रकबा 0.14 है0 कुल किता 09 कुल रकबा 1.55 है0 वाके ग्राम आगर तहसील थानागाजी जिला अलवर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादीगण डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार थानागाजी को दिये जाते हैं।

क्र. स.	खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म	लगान
1	हिम्मतसिंह पुत्र जसवन्तसिंह जाति राजपूत साकिन देह खातेदार हिस्सा 1/2 महेन्द्रसिंह पुत्र जसवन्तसिंह जाति राजपूत साकिन देह खातेदार हिस्सा 1/2		250/1	0.1350 है0	बंजड	
			256	0.19 है0	बारानी प्रथम	
			258/1	0.06 है0	बारानी प्रथम	
			258/3	0.03 है0	बारानी प्रथम	
			259	0.13 है0	बारानी प्रथम	
			260/1	0.09 है0	बारानी प्रथम	
			265	0.14 है0	बारानी प्रथम	
			किता 07	0.7750 है0		
	हरलाल पुत्र गंगाराम जाति मीना साकिन जाटक्यार की ढाणी	1/12				
	भौरी देवी पत्नी गंगाराम जाति मीना साकिन जाटक्यार की ढाणी	1/12	250/2	0.1350 है0	बंजड	
	रामबाई पुत्री गंगाराम जाति मीना साकिन जाटक्यार की ढाणी	1/12				
	धन्नी पत्नी भौरया	1/21	255	0.18 है0	बारानी प्रथम	
	बद्री पुत्र भौरया	1/21	258/2	0.02 है0	बारानी प्रथम	
	रामकिशन पुत्र भौरया	1/21				
	रामपाल पुत्र भौरया	1/21	260/2	0.07 है0	बारानी प्रथम	
	रिछपाल पुत्र भौरया	1/21				
	हनुमान पुत्र भौरया	1/21	262	0.23 है0	बारानी प्रथम	
	लाली देवी पुत्री भौरया	1/21	264	0.14 है0	बारानी प्रथम	
	लक्ष्मा देवी पत्नी छोटा	1/15				
	सीताराम पुत्र छोटा	1/15				
	कैलाश पुत्र छोटा	1/15				
	फैलीराम पुत्र छोटा	1/15				
	बच्ची देवी पुत्री छोटा	1/15				
			किता 06	0.7750 है0		

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.16 21:17:21 IST
Reason: SelfAttested

उक्तानुसार पक्षकारान अपने –अपने हिस्से आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता अनुसार खातेदारी आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे। ना ही किसी प्रकार के कार्य काश्त में रूकावट व मजाहतम पैदा करें तथा शक्त मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेगें।
यह निर्णय आज दिनांक 09.05.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षकर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
थानागाजी–अलवर

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.16 21:17:21 IST
Reason: SelfAttested